FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

सोहनसिंह बनाम झाबरमल वगै0

किस्म मुकदमा दावा मु0 न.0 370 सन् 2024 जीसीएमएस नं. 2024/965

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
21-08-2024	रिपोर्ट सरिस्ता होकर वाद पत्र पेश हुआ। वादी की ओर से श्री बलबीर सिंह जाखड़ एडवोकेट उपस्थित। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन/रजिस्टर्ड तलब किया जावें। पत्रावली वास्ते तामील दिनांक 13.09.2024 को पेश हो। (राजवीर सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना	
	17/9/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 26/9/24 को पेश हों। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। शामिल मिसल किया गया।	
	26/9/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 5/11/24 को पेश हों।	
	5/11/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 12/12/24 को पेश हों।	
	12/12/24 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सभा ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16/1/25 को पेश हो।	
	16/1/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सभा ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 28/2/25 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.06 16:24:59 IST
Reason: SelfAttested

28/02/2025

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 08/04/25 को पेश हो।

8/4/25

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 25/4/25 को पेश हो।

25/04/2025 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप0। प्रकरण में प्राथमिक डिक्री पर वकुलाय उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकुलाय उभयपक्ष ने प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी करने के लिए मौखिक सहमति देते हुए प्राथमिक डिक्री जारी करने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं वकुलाय उभयपक्ष के निवेदन पर सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रकरण तकास्मा का हैं। वादग्रस्त आराजी के वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार हैं। वकुलाय उभयपक्ष ने प्राथमिक डिक्री जारी करने हेतु सहमति दी हैं तथा प्रतिवादी सं. 2 वादपत्र में Formal पक्षकार हैं। अतः वकुलाय उभयपक्ष का निवेदन स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रकरण में प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की जाती हैं किः–

आदेश

तहसीलदार नीमकाथाना तन ग्राम पीथमपुरी पटवार हल्का पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख0 नं0 645 रकबा 9.0500 है0 में विवादीत पक्षकारान को सूचित कर उनकी उपस्थिति में स्वयं मौका–निरिक्षण कर निम्न शर्तो को ध्यान में रखते हुये विस्तृत विभाजन प्रस्ताव तैयार करें:–

1. यदि पक्षकारान ने आपस में बाहमी [illegible] कर अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले [illegible] मौका एवं रिकार्ड के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर भिजवावें।
2. पक्षकारान की आपसी सहमति से बंटवारा का प्रस्ताव तैयार कर भिजवावें।
3. यदि उपरोक्त बिन्दु सं. 1 व 2 के अनुसार पक्षकारान के बीच बंटवारा किया जाना सम्भव नहीं हैं तो "बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स" के सिद्धान्त पर पृथक्–पृथक् लगान कायम करते हुए मीन बट्टा नम्बर डालकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer S
Yadav
Date: 2025.10.06 15:24:59 IS
Reason: SelfAttested

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज **न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना** **उनवानी सोहनसिंह बनाम झाबरमल वगै0 मु.सं. 370/2024**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

नक्शा ट्रेस में लाल सूर्ख स्याही से तरमीम कर विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम के नियम– 18 से 21 के अनुसार राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याय/स्था/प–51 /2008/विविध/10546 दिनांक 05.10.2020 में प्रदत्त दिशा–निर्देशानुसार तैयार करवाकर प्रकरण में नियत आगामी तारीख पेशी दिनांक 13.06.2025 से पूर्व भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

तहसीलदार नीमकाथाना को उपरोक्तानुसार विस्तृत विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहरीर जारी हो तथा तदनुसार प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी हो। वास्ते प्राप्त होने विस्तृत विभाजन प्रस्ताव मिसल दिनांक 13.06.2025 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.) सत्यमेव जयते

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 13/8/25 को पेश हो।

13/8/25

पत्रावली पेश हुइ। वकुलाय उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 27/8/25 को पेश हों।

27/8/25

पत्रावली पेश हुइ। वकुलाय उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 4/9/25 को पेश हों।

04/09/2025

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित हुए। तहसीलदार नीमकाथाना से पूर्व में प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जो अभिलेख पर लिया जाता हैं। प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव पर बहस वकुलाय उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकुलाय उभयपक्ष ने तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव से सहमति जताते हुए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री फरमाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.06 15:24:59 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की पालना

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म में जारी हुए
	में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। चूंकि वकुलाय उभयपक्ष तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव से सहमत हैं। प्रतिवादी झाबरमल ने उपस्थित होकर विभाजन प्रस्ताव पर सहमति दर्ज करवायी हैं। अतः वाद वादी न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 04.09. 2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.)

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.06 15:24:59 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना **(सीकर)**
बइजलास राजवीर सिंह यादव **R.A.S.**

1. सेहनसिंह पुत्र पोखरमल जाति जाट निवासी ढाणी सेजावाली तन सिलपुर पोस्ट कांवट तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.।

–वादी

बनाम

1. झाबरमल पुत्र नानगा जाति जाट निवासी ढाणी बाड़यान तन प्रीतमपुरी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर वगैरह

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नं. 370 सन् 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस** व हाजिरी **श्री बलबीर सिंह जाखड़ एडवोकेट** मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री सूरजभान पूनियां एडवोकेट मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि **वाद वादी मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।**

.निज......................मुबलिग..बाबत...खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **04** माह **09** सन् **2025** को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत..................
ओहदा..................

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.06 16:24:59 IST
Reason: SelfAttested

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।